

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 347 / 2017)
(संस्थित दिनांक :- 02 / 08 / 2017)

म.प्र. राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।
जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. मंगल सिंह यादव पुत्र मोहर सिंह यादव, उम्र 55 वर्ष।
02. रविन्द्र सिंह यादव पुत्र नबाव सिंह यादव, उम्र 35 वर्ष।
03. मनोज सिंह यादव पुत्र मंगल सिंह यादव, उम्र 30 वर्ष।
04. रामप्रकाश यादव पुत्र मंगल सिंह यादव, उम्र 25 वर्ष।

निवासीगण :- ग्राम घमूरी, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 08 / 12 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण मंगल सिंह, रविन्द्र सिंह, रामप्रकाश एवं मनोज पर भा.द.सं. की धारा 294, 324 / 34, 323 / 34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 27 / 07 / 2017 को सुबह लगभग 08:00 बजे फरियादी गजराज सिंह के रठा वाला खेत स्थित ग्राम घमूरी में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी गजराज सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी गजराज एवं पिन्टू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त रविन्द्र सिंह ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी गजराज को एवं अभियुक्तगण ने लाठी-डण्डों से गजराज एवं पिन्टू की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की एवं फरियादी गजराज को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 27 / 07 / 2017 को सुबह लगभग 08:00 बजे फरियादी गजराज सिंह के रठा वाला खेत स्थित ग्राम घमूरी में, आरोपीगण द्वारा फरियादी गजराज से गाली-गलौच करने, उसकी एवं उसके लड़के पिन्टू की कुल्हाड़ी एवं लाठी-डण्डों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी गजराज द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण मंगल सिंह, रविन्द्र सिंह, रामप्रकाश एवं मनोज के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 180/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी गजराज के मेडीकल परीक्षण में धारदार आयुध से चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी गजराज, आहत/साक्षी पिन्टू उर्फ होम सिंह, आंशू उर्फ आशाराम एवं मुकेश सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण मंगल सिंह, रविन्द्र सिंह, रामप्रकाश एवं मनोज के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 324/34, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रविन्द्र सिंह ने दिनांक :- 27/07/2017 को सुबह लगभग 08:00 बजे फरियादी गजराज सिंह के रठा वाला खेत स्थित ग्राम घमूरी में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी गजराज की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त रविन्द्र सिंह ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी गजराज की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी गजराज अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण रविन्द्र सिंह, रामप्रकाश, मनोज एवं मंगल सिंह को जानता है, आरोपीगण उसके भतीजे हैं। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 08/12/2017 से लगभग तीन-चार माह पूर्व की होकर सुबह के समय की ग्राम घमूरी स्थित रठा वाले खेत की है। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसका आरोपीगण से मुँहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी एवं उसके लड़के पिन्टू की लात-धूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने इस संबंध में थाना मौ में रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसका ईलाज कराय था एवं घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी गजराज अ.सा.01 ने आरोपी रविन्द्र द्वारा दिनांक :- 27/07/2017 को सुबह लगभग 08:00 बजे फरियादी गजराज सिंह के रठा वाला खेत स्थित ग्राम घमूरी में, सहअभियुक्तगण के

साथ मिलकर उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी गजराज अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मौ में लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आहत/साक्षी पिन्टू अ.सा.02 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी रविन्द्र द्वारा दिनांक :- 27/07/2017 को सुबह लगभग 08:00 बजे फरियादी गजराज सिंह के रठा वाला खेत स्थित ग्राम घमूरी में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी गजराज की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। विवेचना के दौरान आरोपित घटना में कथित रूप से प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी जब्त नहीं की गई।

08. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत गजराज अ.सा.01 एवं आहत पिन्टू अ.सा.02 के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और फरियादी गजराज अ.सा. 01 एवं पिन्टू अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रविन्द्र ने दिनांक : 27/07/2017 को सुबह लगभग 08:00 बजे फरियादी गजराज सिंह रठा वाला खेत स्थित ग्राम घमूरी में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी गजराज की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त रविन्द्र सिंह ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी गजराज की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

10. अभियोजन आरोपीगण मंगल सिंह, रविन्द्र सिंह, रामप्रकाश एवं मनोज के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

